न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

नि.ग – 1157 – III – 16

निगरानी प्र. क्र. /2016

1. श्रीमती सीमा पति संतोष जाति खाती
2. विक्रमसिंह पित भागीरथ जाति खाती
3. संतोष पिता भागीरथ जाति खाती

निवासीगण ग्राम चिड़ावद तहसील टोंकखुर्द

4. श्रीमती शान्ताबाई पति बद्रीलाल पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम टंकारिया तहसील व जिला उज्जैन
5. श्रीमती मन्नुबाई पति देवकरण पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम टीगरिया गोगा तहसील व जिला देवास म.प्र.
6. श्रीमती पवित्राबाई पति मोहनलाल पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 45 साल निवासी ग्राम मक्सी तहसील व जिला शाजापुर

...... निगरानीकर्ता

श्री राजेश्वर चौहान, अभि. द्वारा आज दि. 11.4.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

कैलाश पिता भागीरथ जाति खाती उम्र 55 साल निवासी ग्राम चिड़ावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

..... गैरनिगरानीकर्ता

अधिनस्थ न्यायालय अनुभाग अधिकारी सोनकच्छ जिला देवास के प्रकरण कमांक 1/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 17.3.2016 जो धारा 32 एंव धारा 52 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत हुआ, जिसमें गैरनिगरानीकर्ता को गेहु कटाने का स्थगन आदेश दिया गया, आदेश से दुखी होकर उचित योग्य न्याय हेतु यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता के अन्तर्गत सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1157—तीन / 16 [सीमा / देवास] जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7—6—2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17—3—2016 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक को फसल निकालने में आवेदकगण द्वारा अवरोध नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही पुनः कृषि कार्य हेतु भूमि पर जाने व फसल बोने में भी आवेदकगण द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो कि पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	